

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.



अपील संख्या 58/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/65)

केसर कवर पत्नी केशुसिंह जाति राजपूत निवासी जोगलसर तहसील
बीदासर जिला चूरु।

अपीलान्त

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भैरु सिंह राजपूत ग्राम जोगलसर तहसील
बीदासर।

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
1. श्री प्रहलाद जाखड़ — अभिभाषक अपीलान्त
 2. श्री सोमदत्त पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2
 3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 19.07.2023

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत
उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु के निर्णय दिनांक
09.06.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बीदासर
जिला चूरु ने कदीमी रास्तो को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु
उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु को रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु ने अपने आदेश क्रमांक 268
दिनांक 09.06.2022 द्वारा उक्त रिपोर्ट एवं खातेदारों की सहमति के
आधार पर रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के
आदेश तहसीलदार बीदासर को दिये। उक्त आदेश के विरुद्ध
अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्त को नोटिस
जारी किये गये।
4. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 द्वारा अपीलान्त को
अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया गया। तथा लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री
भैरु सिंह राजपूत ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर के द्वारा दिनांक

11
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर



16.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2023 द्वारा इनको प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में बतौर रेस्पोंडेंट सं. 2 के रूप में पक्षकार संयोजित करने के आदेश दिये गये।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्त के नाम ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर के खसरा नं. 66 तादादी 3.5410 हैक्टर व खसरा नं. 974/65 तादादी 3.1110 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 6.6520 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है, जिस पर अपीलान्त का कब्जा काशत चला आ रहा है, तथा उक्त खातेदारी रकबा में कभी भी ना तो कोई रास्ता अथवा पगडंडी थी और ना ही वर्तमान में है, ना अपीलान्त की भूमि पर कोई रास्ता प्रचलन में रहा है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई, ना ही अपने स्तर पर मौके की वास्तविक जांच की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही उसे साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिया। मात्र सरसरी तौर पर कदमी रास्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज के फोरमेट में पटवारी द्वारा एकतरफा तौर पर तैयार किए गये प्रस्ताव पर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाए सीधे ही रेकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त रास्ते के नाम पर कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। यदि किसी खातेदार के रकबा में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तो उसे धारा 251 ए काशकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि को कम करने का अधिकार अदालत मातहत को नहीं है, केवल राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत ही कम की जा सकती है। अदालत मातहत ने पूर्णतया: नियमों एवं कानून की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो गलत,

1
अति. सहायक आयुक्त
बीदासर



गैर कानूनी एवं विधि विरुद्ध है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.09.2022 को पटवारी हल्का से प्राप्त हुई। पटवारी हल्का मौके पर आया तब उन्होने ने अपीलान्ट को बताया कि तुम्हारे रकबा मे से नया रास्ता कायम कर दिया है। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, इसलिए डिले कन्डोन फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकर फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि गांवो मे कई रास्ते ऐसे है जो मौके पर चल रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे इसका अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति पर सभी गांव वालो/सह खातेदारो ने उक्त विवादित भूमि पर रास्ते कायम करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि उनके खेत में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का एवं सह खातेदारो की सहमति के आधार पर रास्ते का राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये है जो सही है। जो रास्ता कायम किया गया है उसके अलावा खातेदारो के पास दूसरा और कोई रास्ता खेतो मे आने जाने के लिए नहीं है। इसके साथ अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 का है परन्तु अभिभाषक अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 09.09.2022 को पटवारी हल्का से होना बताया जबकि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से थी, अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम झूठा पेश किया गया है। अतः यह अपील मियाद बिन्दु पर खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 24.12.2014 एवं 10.08.2016 का उद्धरण प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर रास्ते का राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश को सही बताते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अति.सहायक आयुक्त
बीकानेर

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
8. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुये उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बीदासर के निर्णय दिनांक 09.06.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2022 को अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। परन्तु अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा -5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.09.2022 पटवारी हल्का से होना तथा दिनांक 13.09.2022 को नकल मिलने का कारण भी अंकित किया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा- 5 मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
9. अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 66 के अतिरिक्त खसरा नं. 974/65 एव खसरा नं. 975/65 में भी रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के साथ अन्य खातेदार भी प्रभावित पक्षकार हैं जिनको अपीलान्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
10. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.मौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर